

—: आदेश :—

30.08.2013


शस्त्र अपील वाद संख्या-599/2007, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक श्री कमलेश कुमार, पिता-स्व० जगदीश सिंह, सा०-दरवेशपुर, थाना-सकसोहरा, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-67/2007 में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक-16.12.2008 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा आवेदन पर पुनर्विचार करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-30.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ठीकेदारी करते हैं। आवेदक एक सामाजिक व्यक्ति हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1076/गो०, दिनांक-10.07.2007 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, सकसोहरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे ठीकेदारी करते हैं। आवेदक एक सामाजिक व्यक्ति हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं। तदोपरान्त अपने जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'हाँ' प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के बिन्दु-'ख' एवं 'ग' पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है जबकि बिन्दु 'क' एवं 'घ' पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। साथ ही अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ पटना द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"




वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रती नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री कमलेश कुमार, पिता-स्व0 जगदीश सिंह, सा0-दरवेशपुर, थाना-सकसोहरा, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।